

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/34/2026

दायर दिनांक:-09.04.2026

रजि0 न0 2026/62

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री अतर सिंह पुत्र ग्यारसा जाति खटीक
निवासी ग्राम रेटी तहसील कठूमर जिला
अलवर (राज०) 321605

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त
जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर
(राजस्थान)


प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 28.04.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 19.02.2026 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होकर उचित सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.04.2026 को उपस्थित आवें ।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/468 दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के प्रथम अपील दिनांक 02.04.2026 में वर्णित सूचना आवेदन दिनांक: 19.02.2026 जिसे राज्य सरकार के निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये आवेदन सं. 293418315161729 दिनांक 23.02.2026 ऑनलाइन दर्ज किया गया है, के परिपेक्ष्य में अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में ऑनलाइन पत्र सं. 2376078243 दिनांक 10.03.2026 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को जरिये तहसीलदार कठूमर, के माध्यम से सूचना भिजवाई जा चुकी है, प्रेषित सूचनानुसार प्रार्थी के जनसुनवाई अंतर्गत प्राप्त प्रा०पत्र दिनांक 19.06.2025 को जरिये राज० संपर्क ग्रीवेन्स नं. 062532923322888 दर्ज दिनांक 20.06.2025, अपीलार्थी के संतुष्टि पर दिनांक 29.06.2025 को परिवाद निस्तारित किया जा चुका है, प्रति संलग्न है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है ।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में प्रस्तुत प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/468 दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे ।
7. आज दिनांक 28.04.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।




(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर